कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

आदेश सं. ::– स्था./2026/359. दिनांक ::– 18 नवम्बर, 2026

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/वाहन चालक/2025/2358 दिनांक 09.06.2025 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)123/2024/1153 दिनांक 17.11.2026 एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में वाहन चालक के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या **एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14,600/– रुपये मासिक नियत** (फिक्स) पारिश्रमिक पर निम्न अभ्यर्थियों को नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

S.No.	Merit No.	Roll No.	Name	Original Category	Selection Category	Gender
01	14	17369	ANIL DHAYAL	OBC	GEN	Male
02	18	20829	SANJAY KUMAR MEENA	ST	GEN	Male

1. सभी नियुक्तियाँ वाहन चालक संयुक्त परीक्षा 2025 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका D.B. Civil Writ Petitions No. 19969/2026, 19264/2026 and 24414/2026 तथा भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी। (पुलिस सत्यापन हेतु प्रारूप संलग्न)
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. **इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।**

.....2

9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का **सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना होगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर।

क्रमांक ::– स्था./2026/6490–6491. दिनांक ::– 18/11/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ::–

1. Officer In-charge, Account Section, District & Sessions Court, Bikaner
2. Anil Dhayal S/o Sh. Ranveer Dhayal, R/o Narhar, teh. chirawa, Distt. Jhunjhunu (Raj.) (E-mail - anildhayal148@gmail.com)
3. Sanjay Kumar Meena S/o Sh. Puran Mal Meena, R/o Dada Fatehpura, Distt. Jhunjhunu (Raj.) (E-mail - sanjayghumariya28@gmail.com)
4. Personal file concerned employee
5. System officer for E-mail to concerned and upload on official website of this office.
6. Guard File

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर।